लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2812

10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र क्षेत्र में सतत आपूर्ति श्रृंखला

2812. श्री गणेश सिंह:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वस्त्र क्षेत्र में अपशिष्ट न्यूनीकरण, पुनर्चक्रण/पुन:उपयोग, संसाधन दक्षता और सतत आपूर्ति श्रृंखलाओं, विशेषकर वस्त्र अपशिष्ट पुनर्चक्रण, फाइबर-टू-फाइबर प्रौद्योगिकियों और हरित विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अब तक कार्यान्वित किए गए नीतिगत उपायों, नवाचार-आधारित पहलों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार बढ़ती हुई ईएसजी और वैश्विक बाजारों की स्थिरता संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्लस्टर आधारित सर्कुलर टेक्सटाइल मॉडल विकसित करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार कर रही है;

(ग) क्या सरकार मध्य प्रदेश के सतना जैसे जिलों में एक साथ स्थानीय रोजगार, निर्यात क्षमता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक सर्कुलर इकोनॉमी आधारित टेक्सटाइल प्रायोगिक या क्लस्टर परियोजना शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग): सरकार वस्त्र क्षेत्र में अपशिष्ट में कमी, रीसाइक्लिंग/रीयूज़, संसाधन दक्षता और सस्टेनेबल आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए सम्पूर्ण देश में विभिन्न पहलें लागू कर रही है। इस संबंध में हाल ही में उठाए गए कुछ कदमों का विवरण निम्नानुसार है:

i. सरकार "भारत में वस्त्र फैशन आपूर्ति श्रृंखला से हानिकारक रसायनों का उन्मूलन" नामक एक पायलट परियोजना को लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ संसाधन दक्षता, स्वच्छ उत्पादन और ग्रीन विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

ii. वस्त्र अपशिष्ट की रिकवरी और रीसाइक्लिंग के संबंध में, सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं जिनमें “भारत में वस्त्र अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला का मानचित्रण” पर एक अध्ययन, नवी मुंबई में वस्त्र अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए एक केंद्र विकसित करने हेतु नवी मुंबई नगर निगम, वस्त्र समिति और अन्य संस्थाओं के बीच एक समझौता ज्ञापन, सरकारी खरीद में अपसाइकिल्ड उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र समिति, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पब्लिक एंटरप्राइजेज (स्कोप) और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) के बीच एक समझौता ज्ञापन शामिल है। सरकार ने विभिन्न उद्योग केंद्रित कार्यक्रमों को शुरु किया है जो सर्कुलर संवाद और क्लस्टर एक्सचेंज मैकेनिज्म सहित प्लेटफार्मों के माध्यम से क्लस्टर आधारित सर्कुलर वस्त्र मॉडल पर फोकस करते हैं।

iii. वस्त्र मंत्रालय द्वारा ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो वस्त्र और अपैरल उद्योग के स्टेकहोल्डरों को वस्त्र उद्योग में एक सस्टेनेबल और संसाधन-कुशल उत्पादन प्रणाली में बदलने की मौजूदा स्थिति और समस्याओं का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

iv. वर्ष 2024 में स्टार्टअप इंडिया और डीपीआईआईटी के सहयोग से एक टेक्सटाइल स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज भी आयोजित किया गया, जिसमें वस्त्र की ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी और एंड-ऑफ-लाइफ मैनेजमेंट पर फोकस किया गया। भारत टेक्स 2025 में 9 विजेताओं को मान्यता प्रदान करते हुए पुरस्कृत किया गया।

v. सरकार ने इको-मार्क योजना, 2024 को अधिसूचित किया है, जिसमें वस्त्रों को एक चिन्हित उत्पाद श्रेणियों में शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, ईको-लेबलिंग का उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से सस्टेनेबल उत्पादन पद्धतियों, पर्यावरण अनुकूल कच्ची सामग्री के उपयोग, हानिकारक रसायनों के कम उपयोग, संसाधन दक्षता, अपशिष्ट जल एवं एमीशन प्रबंधन को सुदृढ़ करना तथा लागू पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन को प्रोत्साहित करना सुनिश्चित करना है।

(घ): तथापि, सतना, मध्य प्रदेश के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

***